प्रदेश में ओडीओपी के लिए स्थापित हो सकेंगे कॉमन फैसिलिटी सेंटर

टेस्टिंग लैब से लेकर बारकोडिंग तक की सुविधा ले पाएंगे सूक्ष्म उद्यमी

एसपीवी बनाकर करना होगा काम, 90 प्रतिशत तक अनुदान देगी प्रदेश सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने त्योहारों के सीजन में एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) उद्यमियों के लिए बड़ी सौगात का आदेश जारी कर दिया है। उनके लिए जगह-जगह कॉमन फैसिलिटी सेंटर से लेकर डिजाइन डवलेपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं वे पैकेजिंग, लेबलिंग और बारकोडिंग की सुविधाएं भी ले सकेंगे। इन कामों के लिए सरकार 90 प्रतिशत तक अनुदान देगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सचिव भुवनेश कुमार की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उत्पादों के निर्माण से लेकर बिक्री तक से संबंधित सभी अवयवों को लेकर सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणात्मक सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण, उर्जा संरक्षण और पैकेजिंग आदि से संबंधित सुविधाएं शामिल रहेंगी।

योजना के अन्तर्गत टेस्टिंग लैब, डिजाइन डवलेपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, तकनीक अनुसंधान एवं विकास केंद्र, उत्पादन प्रदर्शन सह विक्रय केंद्र, रॉ-मैटेरियल बैंक/कॉमन रिसोर्स सेंटर, कॉमन प्रोडक्शन/प्रोसेसिंग सेंटर, सूचना संग्रह, विश्लेषण एंड प्रसारण केंद्र, पैकेजिंग लेबलिंग एंड बारकोडिंग सुविधाएं और डायग्नोस्टिक स्टडी आदि शामिल हैं। इसके अलावा मिसिंग लिंक ऑफ वैल्यू चेन से संबंधित अन्य अवस्थापना सुविधाएं भी ली जा सकती हैं।